

2014
19/3/18

1826
13/3/18

1575
13/3/18

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-175/सत्तर-1-2018-11(21)/2005
लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक संस्थाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या-171/सत्तर-1-2018-11(21)/2005 दिनांक 08 मार्च, 2018 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 2- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 7- कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार रूप से परिचालित हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में उक्त अधिसूचना को प्रसारित कराने का कष्ट करें।
- 10- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 11- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य (द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद)।
- 12- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पेशवाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय तथा गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- 13- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18- गार्ड फाइल।

Arbim

Sh
12.3.18

आज्ञा से
सचिव

① प्रभावी प्रशासन, आगामी परिहार से अकार्य करने देव। (मधु जोशी)
② समस्त परक सहमक, संयुक्त विभाग, समस्त महा 0 को विशेष सचिव।
अकार्य करने देव।

Sh. Paulay

उपरोक्त आदेश 3/18 (आपके) छानित किया जाय है।

12/3/18

Uttar Pradesh Shashan
Uchcha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 171/70-1-2018-11(21)/2005, dated March 08, 2018

No- 171 /70-1-2018-11(21)/2005
Lucknow : Dated: March 08, 2018

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966) the Governor is pleased to prohibit strike from the date of issuance of this notification till 30th June, 2018 in every services in the State Universities established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No-10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No-29 of 1974) including constituent colleges, associated colleges and affiliated colleges thereof.

Under sub-section (2) of the said section the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the official Gazette.

By Order,



(Sanjay Agarwal)
Apar Mukhya Sachiv

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-171/सत्तर-1-2018-11(21)/2005
लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2018

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 30 जून, 2018 तक के लिए, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों और उनके चट्टक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2- उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

L. S. S.

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव